

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, अंजड़ जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी वाद क्रमांक 03-बी/2016

संस्थित दिनांक-18.02.2016

सेवाराम पिता बालासा मालवीय, आयु 48 वर्ष,  
पेशा-शास.नौकरी, निवासी-बावड़िया, हा.मु. तलवाड़ा डेब,  
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी

– वादी

वि रु द्ध

राधेश्याम पिता छगन धनगर, आयु 32 वर्ष, पेशा-कृषि,  
निवासी-तलवाड़ा डेब, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी

– प्रतिवादी

वादी द्वारा अभिभाषक – श्री विशाल कर्मा
प्रतिवादी द्वारा अभिभाषक – श्री बी. के. सत्संगी

–: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 23.09.2016 को पारित)

**01-** वादी ने यह वाद प्रतिवादी को उधार दी गई नकद मूलधन राशि रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) ब्याज सहित राशि रुपये 80,930/- (अक्षरी रुपये अस्सी हजार नौ सो तीस मात्र/-) प्रतिवादी से वादी को दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

**02-** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि उभयपक्ष एक-दूसरे को जानते हैं तथा प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम तलवाड़ा डेब में पटवारी हलका नंबर-7 में स्थित खसरा क्रमांक 14/10 व 37/2-क रकबा 1.18 एकड़ (0.478 हैक्टर) की कृषि भूमि, जिसमें ट्यूबवेल व कुंआ होकर 5 हॉर्सपावर की विद्युत मोटर लगी हुई होकर भूमि सिंचित है, जिसकी चतुर्सीमा – पूर्व में धनंजय का बाड़ा, पश्चिम में राधेश्याम का खला, उत्तर में शेरू साद का खेत तथा दक्षिण में आम रास्ता होकर, प्रतिवादी राधेश्याम पिता छगन के नाम से है तथा प्रकरण में आगे सुविधा व पुनरावृत्ति को रोकने हेतु संक्षिप्तता की दृष्टि से ‘भूमि/जमीन’ शब्द का प्रयोग उपरोक्त ट्यूबवेल व मोटर से युक्त सिंचित भूमि के आशय/संबोधन के रूप में किया जाएगा।

**03-** वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में अच्छे परिचित होकर प्रतिवादी के नाम से (निर्णय के चरण क्रमांक-2 में वर्णित) सिंचित कृषि भूमि होकर, प्रतिवादी को पारिवारिक कार्यों हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से

प्रतिवादी ने अपने परिवार की सहमति लेकर दिनांक 16.04.2012 को रुपये 47,000/— (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/—) नकद उधार स्वरूप प्राप्त किए और उक्त धनराशि पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की से ब्याज देने का करार करते हुए उक्त जमीन वादी को कब्जे में दी तथा यह भी करार किया कि प्रतिवादी की कृषि भूमि पर वादी फसल बो सकता है अथवा किसी अन्य से कृषि करवा सकता है। प्रतिवादी ने वादी से यह भी करार किया कि उक्त उधार ली गई धनराशि एकमुश्त ब्याज सहित दिनांक 16.02.2013 तक वह बिना किसी हर्ज के अदा कर देगा, जिसमें प्रतिवादी अथवा उसके परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस संबंध में इकरारनामा दिनांक 16.04.2012 को वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा निष्पादित कर प्रतिवादी व गवाहों के भी हस्ताक्षर करवाए। प्रतिवादी से उक्त धनराशि की मांग वादी ने कई बार की, किन्तु प्रतिवादी बहाने बनाता रहा और वादी की धनराशि अदा नहीं की और वादी को झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने की धमकी दी।

**04—** तब वादी ने करार के अनुसार धनराशि प्राप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.01.2016 को सूचना पत्र प्रतिवादी को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया, जो प्रतिवादी को दिनांक 02.02.2016 को प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी ने वादी को कोई धनराशि अदा नहीं की। इसलिए वादी ने प्रतिवादी से उक्त मूलधन एवं उस पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज प्राप्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है।

**05—** प्रतिवादी ने वादोत्तर प्रस्तुत कर वादी के अभिवचनों से स्पष्ट इन्कार करते हुए स्पष्ट किया कि वादी ने असत्य वाद उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने स्पष्ट अभिवचन नहीं करते हुए चरण क्रमांक-1 से 12 में वादी के अभिवचनों के तथ्यों से केवल इन्कार किया एवं वादी का वाद भारतीय अनुतोष अधिनियम 1963 एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 3 साल की अवधि के अंदर वाद प्रस्तुत नहीं होने से समयावधि के बाहर होने के आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की तथा वाद के मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति की। प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में विशेष आपत्ति के अंतर्गत अभिवचन किया है कि उसकी ग्राम तलवाड़ा डेब में कृषि भूमि है, जिस पर उसका आधिपत्य भी है। वादी ने दुर्भावनावश असत्य अनुबंध पत्र प्रतिवादी के नाम का बनाया और उसके मिथ्या हस्ताक्षर करवाए हैं, जिसकी जांच करवाई जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से विकल्प में यह भी निवेदन किया गया कि यदि उसके विरुद्ध डिक्री पारित होती है, तो उसे रुपये 5,000/— वार्षिक की किश्तों में अदायगी की सुविधा प्रदान की जाए अथवा वाद निरस्ती की दशा में सीपीसी की धारा 34 के तहत विशेष हर्जाना रुपये 15,000/— प्रतिवादी को वादी से दिलवाया जाए।

**06—** उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित वाद प्रश्न व अतिरिक्त वाद प्रश्न विरचित किए गए, जिनके सम्मुख उनके सकारण निष्कर्ष, साक्ष्य विवेचन व दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा अंकित किए जा रहे हैं :—

क्रमांक	वाद प्रश्न	सकारण निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 16.04.2012 को रुपये 47,000/- उधार स्वरूप प्राप्त कर वादी के पक्ष में इकरारनामा भी निष्पादित किया था ?	प्रमाणित
2	क्या प्रतिवादी ने उक्त धनराशि पर वादी को रुपये 1.50 पैसे प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज देने का वचन भी दिया था ?	प्रमाणित
3	क्या प्रतिवादी ने उक्त धनराशि वादी द्वारा मांग किए जाने के उपरांत भी वादी को अदा नहीं की गई ?	प्रमाणित
4	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा नहीं किया है ?	प्रमाणित नहीं
5	क्या वादी ने उक्त इकरारनामा मिथ्या एवं फर्जी रूप से तैयार करवाया है ?	नहीं
6	क्या प्रतिवादी वादी से विशेष हर्जाना रुपये 15,000/- प्राप्त करने का अधिकारी है ?	नहीं
7	सहायता एवं व्यय ?	वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की गई
<b><u>अतिरिक्त वाद प्रश्न</u></b>		
8	क्या वाद समयावधि में है ?	हाँ, प्रमाणित

**:- वाद प्रश्न क्रमांक-1 से 3 पर सकारण निष्कर्ष :-**

**07-** उपरोक्त तीनों ही वाद प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

**08-** उक्त वाद प्रश्नों के संबंध में वादी सेवाराम (वा.सा.-1) का कथन है कि वह तथा प्रतिवादी आपस में अच्छे परिचित होकर प्रतिवादी के नाम से (निर्णय के चरण क्रमांक-2 में वर्णित) सिंचित कृषि भूमि होकर, प्रतिवादी को पारिवारिक कार्यों हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से प्रतिवादी ने अपने परिवार की सहमति लेकर दिनांक 16.04.2012 को रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) नकद उधार स्वरूप प्राप्त किए और उक्त धनराशि पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की से ब्याज देने का करार करते हुए उक्त जमीन उसे कब्जे में दी तथा यह भी करार किया कि प्रतिवादी की कृषि भूमि पर वह फसल बो सकता है अथवा किसी अन्य से कृषि करवा सकता है। प्रतिवादी ने उससे यह भी करार किया कि उक्त उधार ली गई धनराशि एकमुश्त ब्याज सहित दिनांक 16.02.2013 तक वह बिना किसी हर्ज के अदा कर देगा, जिसमें प्रतिवादी अथवा उसके परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस संबंध में इकरारनामा दिनांक 16.04.2012 को

उसके पक्ष में प्रतिवादी द्वारा निष्पादित कर प्रतिवादी व गवाहों के भी हस्ताक्षर करवाए। प्रतिवादी से उक्त धनराशि की मांग उसने कई बार की, किन्तु प्रतिवादी बहाने बनाता रहा और उसकी धनराशि अदा नहीं की और उसे झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। वादी का यह भी कथन है कि तब उसने करार के अनुसार धनराशि प्राप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.01.2016 को सूचना पत्र प्रतिवादी को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया, जो प्रतिवादी को दिनांक 02.02.2016 को प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी ने उसे कोई धनराशि अदा नहीं की। इसलिए उसने प्रतिवादी से उक्त मूलधन एवं उस पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज प्राप्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है।

**09—** वादी ने अपने समर्थन में प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित अनुबंध पत्र प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया, जिसके ए से ए भाग पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर प्रतिवादी ने स्वीकार किए हैं तथा वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को पंजीकृत डाक से प्रेषित सूचना पत्र दिनांक 16.04.2012 की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2, उसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-3 तथा सूचना पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी-4 प्रस्तुत कर प्रमाणित की हैं।

**10—** प्रतिवादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में वादी ने यह स्वीकार किया है कि पूर्व में उसका और प्रतिवादी के घनिष्ठ संबंध था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रतिवादी की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों की छायाप्रतियां पेश नहीं की। उसने दिनांक 16.04.2012 को 100/- रुपये के स्टॉम्प पर अंजड़ न्यायालय में लिखा पढ़ी करवाई थी, उस समय साक्षी निर्मल तथा प्रतिवादी और वह उपस्थित थे। उसने प्रतिवादी को नकद धनराशि रुपये 500-500/- के 94 नोट के रूप में दिए थे और प्रदर्श पी-1 की लिखापढ़ी प्रतिवादी से करवाई थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनुबंध पत्र प्रदर्श पी-1 में रुपये 47,000/- नकद प्राप्त हुए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि रुपये 47,000/- प्राप्त हुए ऐसा लिखा हुआ होकर उसके नीचे प्रतिवादी ने हस्ताक्षर किए हैं। साक्षी ने प्रतिवादी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त लिखापढ़ी दिनांक 17.04.2012 को हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने प्रतिवादी को कोई रुपया उधार नहीं दिया था और प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कराकर उसके विरुद्ध झूठा वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि प्रतिवादी को रुपया उधार देकर उसने उसके बदले में उसकी भूमि पर कृषि की थी, किन्तु साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 की लिखापढ़ी प्रतिवादी की खेती के आधार पर की गई थी, लेकिन वादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि प्रतिवादी की खेती पर कब्जा करके रुपया वसूल कर लिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में पैरा नंबर-3 में वादी को उसकी जमीन का कब्जा दिया गया है, ऐसा लिखा है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि कब्जा नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का यह भी कथन है कि निर्मल उसका परिचित होकर ग्राम तलवाड़ा डेब स्कूल में चपरासी है। लेकिन वादी को प्रतिवादी की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी ने उससे रुपये 47,000/- उधार स्वरूप प्राप्त नहीं किए थे।

**11—** वादी साक्षी निर्मलगिरी (वा.सा.—2) का कथन है कि वह वादी—प्रतिवादी दोनों को जानता है। प्रतिवादी को उसकी कृषि भूमि एवं पारिवारिक कार्यों हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से वादी से दिनांक 16.04.2012 को नकद धनराशि रुपये 47,000/— तथा उक्त रूपयों पर 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज देना स्वीकार कर जमीन वादी ने कब्जे में ली थी और उक्त रुपये चुकाने का आश्वासन भी वादी को दिया था। साक्षी का यह भी कथन है कि रुपये प्राप्ति के बाद प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में प्रदर्श पी—1 का अनुबंध पत्र लिखा था, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**12—** प्रतिवादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस वादी साक्षी ने व्यक्त किया कि वह हायर सेकण्डरी तक पढ़ा है। प्रदर्श पी—1 की लिखापढ़ी दिनांक 16.04.2012 को हुई थी, उस समय वह, वादी तथा प्रतिवादी उपस्थित थे। उसका और वादी का घनिष्ठ संबंध होकर वे एक ही विभाग में कार्यरत हैं। वादी ने प्रतिवादी को रुपये 47,000/— रुपये 500—500/— के 94 नोट के रूप में देना साक्षी ने कथन किया है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके सामने नकद रुपये दिए थे, उसकी लिखापढ़ी 100/— रुपये के स्टॉम्प पर की गई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि स्टॉम्प प्रतिवादी खुल लेकर आया था। प्रतिवादी के सुझाव पर साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके सामने जमीन का कब्जा देने की बात हुई थी, लेकिन कब्जा नहीं दिया था। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादी ने प्रतिवादी की जमीन का 3 वर्ष तक उपयोग किया। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि वह वादी के पक्ष में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार उक्त साक्षी को भी प्रतिवादी की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी ने वादी से रुपये 47,000/— उधार स्वरूप प्राप्त नहीं किए थे।

**13—** प्रतिवादी राधेश्याम (प्र.सा.—1) का उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कथन है कि वादी ने उसके विरुद्ध रुपये 47,000/— की वसूली का जो दावा लगाया है, वह असत्य है। वादी और वह घनिष्ठ मित्र थे, इस कारण उसने अपने स्वत्व की उक्त कृषि भूमि वादी को रुपये 47,000/— में मेहनताने पर दी थी और 3 साल तक उक्त रूपयों के एवज में वादी ने उसकी भूमि का उपयोग किया, इसलिए अब वादी का उस पर कोई लेना शेष नहीं है। उसने वादी के सूचना पत्र का जवाब भी इसीलिए नहीं दिया, क्योंकि वादी ने असत्य व बनावटी इकरारनामा पेश किया है। वादी किसी भी सहायता का अधिकारी नहीं है।

**14—** वादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया कि वह वादी को 8—10 सालों से जानता है तथा अपनी कृषि भूमि पर पिछले 4—5 वर्षों से कृषि कर रहा है। उसके पूर्व पिताजी कृषि कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पिताजी के बाद उसकी मां का जमीन पर कब्जा था और मां की भी मृत्यु हो चुकी है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह कृषि भूमि किराये पर देकर कृषि कराता है। इस वर्ष उसने फसल बोई है, इसके पहले वादी का कब्जा था। प्रतिवादी ने वादोत्तर के प्रत्येक पृष्ठ, मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र, अभिभाषक पत्र एवं वादोत्तर के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए हैं, लेकिन प्रोमिसरी नोट प्रदर्श पी—1 पर ए से ए भाग पर अपने

हस्ताक्षर होने से इन्कार किया है। प्रतिवादी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह प्रदर्श पी-1 का स्टॉम्प बड़वानी से खरीदकर लाया था और उसने स्टॉम्प वेण्डर के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वादी ने उसे 2 बार सूचना पत्र प्रेषित किया था। साक्षी ने स्पष्ट करते हुए आगे स्वीकार किया है कि उसने वादी से रुपये 47,000/- प्राप्त कर, जमीन कृषि करने के लिए उसको दी थी, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी-1 की लिखापढ़ी करके वादी को रुपये 47,000/- में अपनी जमीन गिरवी रखना लिखवाया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने वादी से कोई रुपया नहीं लिया था, इस कारण उसके सूचना पत्रों का जवाब भी नहीं दिया। प्रतिवादी ने प्रदर्श पी-1 की लिखापढ़ी अंजड़ कोर्ट में टायपिस्ट से कराना स्वीकार किया और उक्त लिखापढ़ी के समय वादी और अपनी उपस्थिति भी स्वीकार की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि न्यायालय में जो लिखापढ़ी हुई थी, उस पर उसने तथा वादी ने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वादी ने जो सूचना पत्र प्रेषित किया था, उसमें रुपये 47,000/- और उस पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज की भी मांग की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके वादोत्तर एवं मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में वादी को मेहनताने पर खेत देने के संबंध में नहीं लिखा है। साक्षी ने वादी की ओर से प्रस्तुत इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने वादी से पैसे उधार प्राप्त किए हैं और अब मन में बेईमानी आ जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

**15—** वादी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनमें प्रदर्श पी-1 वह अनुबंध पत्र है, जिसके आधार पर वादी ने प्रतिवादी को रुपये 47,000/- उधार स्वरूप देने के संबंध में अभिवचन किए हैं तथा उक्त अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने के संबंध में वादी सेवारांम (वा.सा.-1) और उसके साक्षी निर्मल (वा.सा.-2) ने स्पष्ट कथन किए हैं। यहां तक कि, प्रतिवादी राधेयाम (प्र.सा.-1) ने भी प्रदर्श पी-1 के अनुबंध पत्र पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए हैं तथा यहां तक कि, अपने मुख्य परीक्षण में ही वादी से रुपये 47,000/- प्राप्त करना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, लेकिन प्रतिवादी का यह कथन है कि वादी ने उक्त रुपयों के बदले में उसकी कृषि भूमि पर 3 वर्ष तक कृषि की। लेकिन प्रदर्श पी-1 में यह उल्लेख नहीं है कि वादी द्वारा प्रतिवादी को उधार दी गई धनराशि रुपये 47,000/- के बदले उसकी भूमि पर कृषि करके उक्त रुपया वसूल कर लिया गया है। अनुबंध पत्र प्रदर्श पी-1 के पैरा नंबर-8 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिवादी वादी से लिया गया उधार रुपया दिनांक 16.02.2013 तक बिना किसी हर्ज के अदा कर देगा और यदि प्रतिवादी या उसके परिवार द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, तो वादी विधिक कार्यवाही कर उक्त राशि वसूल कर सकता है।

**16—** वादी और उसके साक्षी ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा वादी से रुपये 47,000/- उधार स्वरूप प्राप्त करना स्पष्ट कथन किया है। इस संबंध में स्वयं प्रतिवादी ने भी स्वीकारोक्ति की है और उक्त अनुबंध लेख प्रदर्श पी-1 में यह भी उल्लेख है कि यदि प्रतिवादी उक्त धनराशि वादी को अदा नहीं कर पाता है, तो वादी विधिक कार्यवाही करके उक्त धनराशि प्रतिवादी से वसूल कर सकता है

तथा उक्त अनुबंध पत्र में प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त उधार दी गई धनराशि पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज देने का भी करार है। यहां तक कि, प्रतिवादी ने वादी द्वारा दिए गए 2 सूचना पत्र प्राप्त होना भी स्वीकार किया है और उक्त सूचना पत्र प्रदर्श पी-2 की प्रतिलिपि, डाक की रसीद प्रदर्श पी-3 एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी-4 भी वादी ने प्रमाणित की है, जिसका भी कोई खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं हुआ है।

**17-** इस प्रकार वादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श पी-1 लगायत पी-4 से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 16.04.2012 को रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) उधार स्वरूप प्राप्त कर वादी के पक्ष में प्रदर्श पी-1 का इकरारनामा निष्पादित किया था और उक्त धनराशि पर रुपये 1.50 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज देने का वचन भी दिया था, जो धनराशि वादी द्वारा बार-बार मांग किए जाने के उपरांत भी प्रतिवादी ने वादी को अदा नहीं की। अतः उपरोक्त वाद प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 पर निष्कर्ष “हां, प्रमाणित” के रूप में निष्कर्षित किए जाते हैं।

**-: वाद प्रश्न क्रमांक-4 पर सकारण निष्कर्ष :-**

**18-** उक्त वाद प्रश्न के संबंध में किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि उक्त प्रश्न विधि से संबंधित है, इसलिए न्यायालय द्वारा स्वयं विचार करना आवश्यक है। वादी ने ब्याज सहित धनराशि रुपये 80,930/- (अक्षरी रुपये अस्सी हजार नौ सो तीस मात्र/-) की वसूली हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है और उक्त वाद का मूल्यांकन कर रुपये 9,711/- न्याय शुल्क अदा किया गया है। यद्यपि वाद पत्र में स्पष्ट रूप से उक्त न्याय शुल्क की दर का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन चाही गई सहायता की प्रकृति को देखते हुए वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन एवं उस पर अदा किया गया न्याय शुल्क विधिक रूप से सही होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद प्रश्न क्रमांक-4 पर निष्कर्ष इस रूप में निष्कर्षित किया जाता है कि “वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया है”।

**-: वाद प्रश्न क्रमांक-5 पर सकारण निष्कर्ष :-**

**19-** उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी राधेश्याम (प्र.सा.-1) ने कथन किया है कि वादी ने उक्त इकरारनामा प्रदर्श पी-1 मिथ्या एवं फर्जी रूप से तैयार करवाया है, लेकिन मुख्य परीक्षण के दौरान ही प्रतिवादी ने प्रदर्श पी-1 के इकरारनामा पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और वादी से रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) प्राप्त करना भी प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी स्वयं की स्वीकारोक्ति और प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर होने के संबंध में किए गए स्पष्ट कथन को देखते हुए, जबकि, यह प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था कि, वादी ने उक्त इकरारनामा प्रदर्श पी-1 मिथ्या एवं फर्जी रूप से तैयार कराया है, लेकिन प्रतिवादी स्वयं ने प्रदर्श पी-1 का निष्पादन और उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं

होता है कि वादी ने उक्त इकरारनामा प्रदर्श पी-1 मिथ्या एवं फर्जी रूप से तैयार करवाया है । अतः उपरोक्त वाद प्रश्न क्रमांक-5 पर निष्कर्ष “प्रमाणित नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

**—: वाद प्रश्न क्रमांक-8 पर सकारण निष्कर्ष :-**

**20—** उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी राधेश्याम (प्र.सा.-1) ने कथन किया है कि वादी द्वारा 3 वर्ष के भीतर वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है और वादी का वाद समयावधि के बाहर है। इसके विपरीत वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि वादी का वाद समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शित अनुबंध पत्र प्रदर्श पी-1 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने अनुबंध पत्र के पैरा नंबर-5 में वादी से उधार ली गई धनराशि दिनांक 16.02.2013 तक अदा करने का अनुबंध किया था और उसके द्वारा धनराशि अदा नहीं किए जाने के कारण वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 25.01.2016 को प्रतिवादी को उक्त सूचना पत्र प्रदर्श पी-2 प्रेषित किया, जिसके पश्चात वादी ने वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी ने भी उक्त सूचना पत्र प्राप्त होना स्वीकार किया है। प्रदर्श पी-1 के अनुबंध पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अनुबंध पत्र में प्रतिवादी ने उधार ली गई धनराशि की वापसी दिनांक 16.02.2013 नियत की थी और उक्त दिनांक के 3 वर्ष के भीतर वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्राप्त है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से वादी का वाद समयावधि में होना प्रमाणित होता है। अतः उपरोक्त वाद प्रश्न क्रमांक-8 पर निष्कर्ष “हां, प्रमाणित” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

**—: वाद प्रश्न क्रमांक-6 पर सकारण निष्कर्ष :-**

**21—** उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जबकि प्रतिवादी ने स्पष्ट अभिवचन किया है कि वादी ने असत्य आधारों पर यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है, लेकिन सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण से यह कहीं भी दर्शित नहीं हुआ है कि वादी द्वारा मिथ्या एवं असत्य आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी वादी से कोई भी प्रतिकर अथवा विशेष हर्जाना पाने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपरोक्त वाद प्रश्न क्रमांक-6 पर निष्कर्ष “प्रमाणित नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

**—: वाद प्रश्न क्रमांक-7 ‘सहायता एवं व्यय’ :-**

**22—** उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी ने उससे दिनांक 16.04.2012 को रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) नकद धनराशि उधार स्वरूप प्राप्त कर वादी के पक्ष में प्रदर्श पी-1 का इकरारनामा निष्पादित किया था और उक्त धनराशि पर 1.50% प्रतिमाह की दर से ब्याज देने का भी करार किया था, जो धनराशि वादी द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बाद भी प्रतिवादी ने उसे अदा नहीं की और यह वाद समयावधि में प्रस्तुत किया है।



ऐसी स्थिति में वादी उक्त मूलधन राशि रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) ब्याज सहित प्रतिवादी से पाने का अधिकारी प्रतीत होता है, लेकिन उक्त संव्यवहार वाणिज्यिक स्वरूप का नहीं है और प्रदर्श पी-1 के अनुबंध पत्र में लिखी हुई ब्याज की दर अत्यधिक प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधान अनुसार वादी उक्त मूलधन राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से संव्यवहार दिनांक से अदायगी दिनांक तक ब्याज पाने का अधिकारी प्रतीत होता है।

**23-** अतः वादी का वाद आंशिक रूप से उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है :-

(अ) प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह मूल धनराशि रुपये 47,000/- (अक्षरी रुपये सैंतालीस हजार मात्र/-) और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से अनुबंध पत्र की दिनांक 16.04.2012 से अदायगी दिनांक तक का ब्याज वादी को अदा करे।

उपरोक्तानुसार डिक्री बनाई जावे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी अपने व्यय के साथ-साथ वादी का वाद व्यय भी वहन करेगा।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, व्यय में जोड़ी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही/-  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक,  
अंजड़, जिला बड़वानी

सही/-  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक,  
अंजड़, जिला बड़वानी